Article Date	Headline / Summary	Publication
21 Apr 2026	Impact of Ongoing Tensions in West Asia on Travellers' Travel Plans	Aaj Ka Anand

प. एशिया में जारी तनाव का असर यात्रियों की 'ट्रैवल प्लानिंग' पर

अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप जाने वाले भारतीय यात्रियों को ज्यादा परेशानी होने की संभावना

मुंबई, 20 अप्रैल (आ. प्र.)

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारतीय यात्रियों की ट्रैवल प्लानिंग पर साफ दिखने लगा है. पहले जिन फ्लाइट्स का रूट खाड़ी देशों के ऊपर से गुजरता था, अब एयरलाइंस उन्हें बदल रही हैं. इसकी वजह से सफर लंबा हो रहा है और देरी, कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने या कैंसिलेशन का खतरा बढ़ गया है. खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप और कनाडा जाने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो सकती है.

ऐसे हालात में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर तरह की दिक्कत इसमें कवर नहीं होती. इसलिए यात्रा से पहले यह जान लेना बेहतर है कि फ्लाइट में देरी, रद्द होने, मेडिकल इमरजेंसी या सामान खोने जैसी स्थितियों में इंश्योरेंस कितना साथ देगा.

दरअसल, लंबी दूरी की ज्यादातर उड़ानें पश्चिम एशिया के एयरस्पेस या खाड़ी देशों के एयरपोर्ट के जरिए गुजरती हैं. मौजूदा तनाव को देखते हुए एयरलाइंस एहतियात के तौर पर इन रास्तों से बच रही हैं, जिससे शेड्यूल में बदलाव हो रहा है.

बजाज जनरल इंश्योरेंस के रिटेल बिजनेस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर राकेश कौल के मुताबिक, अभी ज्यादातर फ्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने का जोखिम पहले के मुकाबले बढ़ गया है.

युद्ध जैसे हालातों में ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है. आम तौर पर बीमा पॉलिसी में साफ लिखा होता है कि अगर नुकसान सीधे तौर पर युद्ध या सैन्य टकराव की वजह से हुआ है, तो उसका कवर नहीं मिलेगा. लेकिन सिर्फ तनाव या भू-राजनीतिक हलचल होने भर से आपकी पॉलिसी बेकार नहीं हो जाती. राकेश कौल का कहना है कि अगर फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन एयरलाइन के ऑपरेशन, खराब मौसम या तकनीकी वजहों से होता है, तो ऐसे मामलों में कवरेज मिल सकता है, बशर्ते उसका सीधा संबंध किसी संघर्ष से न हो.

ऐसी स्थिति में यात्री को अतिरिक्त होटल खर्च, खाने-पीने या वैकल्पिक यात्रा का खर्च बीमा के तहत मिल सकता है, हालांकि इसकी एक तय सीमा होती है. आसान शब्दों में समझें तो बीमा कंपनी आमतौर पर छोटे-मोटे अतिरिक्त खर्च को कवर करती है.

लेकिन अगर फ्लाइट रद्द होने या यात्रा में बाधा की वजह सीधे तौर पर युद्ध या सैन्य कार्रवाई बनती है, तो फिर पॉलिसी के नियमों के तहत क्लेम खारिज भी किया जा सकता है.